दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 12 जुलाई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 284

नए संसद भवन की छत पर लगा 9,500केजी का अशोक स्तंभ, प्रधानमंत्री मोदी ने किया अनावरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ की स्थापना की गई है। सोमवार को संसद भवन के छत पर बने इस राष्ट्रीय प्रतीक की तस्वीर भी सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर लगे विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से बात भी की। बता दें कि कांस्य से बने इस राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 9,500 किलोग्राम और ऊंचाई 20 फीट है। इसे नए संसद भवन के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। इसे सहारा देने के लिए 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण भी किया गया है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा स्केच और प्रक्रिया मिट्टी मॉडलिंग/कंप्यूटर ग्राफिक से कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग तक तैयारी के आठ अलग-अलग चरणों से गुजरी है। इस स्तंभ को क्रेन के जरिए नए संसद भवन के छत पर स्थापित किया गया है। नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण के अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

नया संसद भवन बनाने में जुटे मजदूरों से मिले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई संसद की इमारत की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। यह एंब्लेम कांसे का बना है और इसका वजन 9500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इस साल के आखिरी तक संसद की नई इमारत खुल सकती है। इससे पहले अशोक स्तंभ के उद्घाटन को बड़ा कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल संसद का शीत सत्र नई इमारत में होगा।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन मजदूरों से भी बात की जो इस इमारत को बनाने में लगे हुए हैं। मोदी ने मजदूरों से कहा कि उन्हें अपने इस काम पर गर्व होना चाहिए क्योंकि वे देश के गौरव के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।

पीएम मोदी ने पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? मजदूरों ने जवाब दिया कि इतिहास बना रहे हैं। इस पर मोदी ने कहा, बड़े जागरूक हो भाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पूछा, आपको काम करते हुए कैसा लगता है। क्या घर बनाने में और इस इमारत को बनाने में कोई फर्क है? मजदूरों ने जवाब दिया कि घर वाले पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है। इसके बाद पीएम ने मजदूरों से राशन के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि क्या उनका वन नेशन वन राशन वाला कार्ड बना है? सबने हां में जवाब दिया।

एक मजदूर ने पीएम मोदी से कहा, जैसे सबरी मां से मिलने भगवान राम गए थे वैसे ही आप हमारी कुटिया में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसपर प्रधानमंत्री ने कहा, वाह, वाह, यह तुम्हारी कुटिया है। देश के हर गरीब को लगना चाहिए कि यह उनकी कुटिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आप लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ा दिया है। आपने समय पर काम किया है। आपने कोरोना नियमों का भी पालन किया है। मोदी ने मजदूरों से कोरोना वैक्सीन के बारे में भी पूछा। इसके बाद मजदूरों के परिवारों के लिए शुभकामना दी और कहा कि आपको यह काम करते हुए गर्व होना चाहिए कि आप देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादियों मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने आज सुबह वंदाकपोरा इलाके में घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। सुरक्षा बल जैसे ही छिपे हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े तभी आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी। मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष आतंकवादी अवंतीपोरा में फंसा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि आतंकवादी की पहचान कैसर कोका के रूप में की गयी है, जो 2018 से सक्रिय आतंकवादी है।

आरोपियों की रिहाई को सरल बनाने जमानत अधिनियम पेश करने पर विचार करे केंद्र : सुप्रीमकोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को आपराधिक मामलों में आरोपियों की रिहाई को सरल बनाने के लिए उन्हें जमानत देने के वास्ते एक नया कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41-ए (आरोपी को पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी करना) का पालन करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्टों से उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने को भी कहा, जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। न्यायालय ने ऐसे कैदियों की रिहाई में मदद के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों से 4 महीने में इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने सीबीआई द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान ये दिशा-निर्देश जारी किए। फैसले का ब्योरा फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया गया है।

सजा पूरी होने पर सलेम को छोड़ने के लिये केंद्र बाध्य - सुको

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र पुर्तगाल के समक्ष जताई गई अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में गैंगस्टर अबू सलेम की 25 साल की सजा पूरी होने पर उसे रिहा करने के लिए बाध्य है।सलेम ने कहा था कि 2002 में उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए एक आश्वासन के अनुसार उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति के प्रयोग और सजा पूरी होने को लेकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। पीठ ने कहा, आवश्यक कागजात 25 वर्ष पूरे होने के एक महीने के अंदर आगे बढ़ाए जाएं। वास्तव में, सरकार 25 साल पूरे होने पर एक महीने की समयावधि के भीतर सीआरपीसी के तहत छूट के अधिकार का प्रयोग कर सकती है।एक विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को सलेम को, 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की उसके ड्राइवर मेहंदी हसन के साथ हत्या करने के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुंबई में 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दोषियों में से एक सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था।

चार हफ्ते के अंदर 40 मिलियन डालर जमा कराने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिया विजय माल्या को झटका

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को चार सप्ताह के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डालर जमा करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर 4 महीने की जेल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रिम कोर्ट ने 2017 में विजय माल्या को अवमानना और अदालत से जानकारी छुपाने के लिए दोषी पाया गया था।

जम्मू-कश्मीर : हिरासत में युवक की मौत के बाद 1 पुलिसकर्मी निलंबित

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद सोमवार को एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया।

पुलिस ने कहा कि मुस्लिम मुनीर नाम के एक व्यक्ति को चोरी के एक मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में नौगाम पुलिस स्टेशन बुलाया गया था।

पुलिस ने कहा कि उसे एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस थाने बुलाया गया, जिसमें दो लोगों को नौगाम इलाके में एक स्कूटी चोरी करते हुए देखा गया है।

पुलिस के अनुसार, जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा था तो वह किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में लग रहा था। उसके परिवार को बाद में पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उन्होंने पुष्टि की कि वह व्यक्ति ड्रग्स का आदी है।

पुलिस ने बताया, बाद में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसी दिन उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया। हमें पता चला कि शाम करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई। चनापोरा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की कार्यवाही की गई। पोस्टमार्टम किया गया है और रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

पुलिस ने कहा, औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है और चूंकि परिवार को गड़बड़ी का संदेह है, इसलिए पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

अन्नाद्रमुक ने ओ. पन्नीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित किया

0-मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों के समर्थकों में झड़प

चेन्नई (आरएनएस)। अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में सोमवार को बागी नेता ओ पन्नीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और कोषाध्यक्ष के पद से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि पन्नीरसेल्वम ने कहा कि उनके विरोधी इडापड्डी के पलानीस्वामी को उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने उल्टा पलानीस्वामी को ही पार्टी से 'निकालने की घोषणा कर दी। वहीं अन्नाद्रमुक मुख्यालय के बाहर पार्टी के दोनों गुटों के समर्थकों के बीच यहां झड़पें हुईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पन्नीरसेल्वम समर्थकों पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद थे।

वहीं पलानीस्वामी के समर्थकों के पार्टी के झंडे के साथ पहुंचने पर झड़प हो गयी। पथराव की बीच कुछ पास में खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कुछ लोग कार्यालय के दरवाजे जबर्दस्ती खोल कर अंदर जाते दिखाई दिए।

दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता एन आर विश्वनाथन ने पन्नीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित करने संबंधी विशेष प्रस्ताव बैठक में पेश किया और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया गया। प्रस्ताव में पन्नीरसेल्वम पर द्रमुक का साथ देने और अन्नाद्रमुक को कमजोर करने के लिए सत्तारुढ़ दल के नेताओं के साथ मिलने और काम करने का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया कि पन्नीरसेल्वम ने पार्टी के हितों ,लक्ष्यों और सिद्धांतों के खिलाफ काम किया। प्रस्ताव में कहा गया कि उन्होंने 23 जून को होने वाली आम परिषद की बैठक को रोकने के लिए पुलिस से संपर्क किया, जो उन्होंने पलानीस्वामी के साथ संयुक्त रूप से बुलाई थी। अन्नाद्रमुक ने आरोप लगाया कि पन्नीरस्वामी ने व्यक्तिगत हितों के लिए काम किया। पार्टी ने उनके समर्थकों आर वैथिलिंगम और पी एच मनोज पंडियन को भी निष्कासित किया। दोनों ही विधायक हैं। साथ ही पूर्व विधायक जेसीडी प्रभाकर को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पन्नीरसेल्वम ने कहा उन्हें '1.5 करोड़ पार्टी कार्यकर्ताओं ने समन्वयक निर्वाचित किया था और इसलिए पलानीस्वामी को और अन्य नेता के पी मुनुसामी को उन्हें निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा,'मैं उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करता हूं। आगे की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब के भाजपा नेता जगजीत सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय ओका की पीठ ने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और पंजाब को इस पर ध्यान देना चाहिए और वे मामले को देख रहे हैं।

सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नमित सक्सेना ने कहा कि उनके मुवक्किल सीबीआई जांच चाहते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस उचित कदम उठा रही है। सक्सेना ने कहा, इसलिए, हम अब केंद्रीय एजेंसी से जांच नहीं चाहते। हम इस पर दबाव नहीं डाल रहे हैं।

पीठ ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, इस अदालत को सभी लोगों के लिए खुले तौर पर काम करना है। लेकिन इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। सक्सेना ने कहा, हां, हम इसके लिए और दबाव नहीं बना रहे हैं। अगर वे कदम नहीं उठा रहे होते तो मैं इसके लिए दबाव डालता।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने सक्सेना से पूछा, आप कौन हैं? सक्सेना ने जवाब दिया कि वह याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भाजपा के सदस्य हैं।

पीठ ने कहा, मेरा मानना है कि राजनेताओं को ऐसे मामलों में नहीं पडऩा चाहिए, अन्य क्षेत्रों में यह ठीक है।

याचिका अधिवक्ता नमित सक्सेना और अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी और शुभम जायसवाल के माध्यम से दायर की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि पंजाब में भय और आतंक की आंधी चल रही है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि पंजाब की पूरी आबादी के मौलिक अधिकारों को बड़े पैमाने पर खतरे में डाल दिया गया है।

शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था, की 29 मई को दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

याचिका में कहा गया है कि वह सिर्फ 28 साल का युवा कलाकार था, जो पंजाबी रैप की एक विशिष्ट कला का प्रदर्शन करके विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। इसमें कहा गया है, सिद्धू मूसेवाला की नृशंस हत्या एक ज्वलंत उदाहरण है जहां बड़े पैमाने पर समुदाय की अंतरात्मा को झटका लगा है और पंजाब के लोगों को विश्वास है कि राज्य द्वारा कोई प्रभावी जांच नहीं की जाएगी, बल्कि यह अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश करेगा। सुरक्षा कवर हटाने और घटना की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि हत्या के अगले दिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टरों के नाम सामने आने लगे, जब उन्होंने मृतक की हत्या की जिम्मेदारी ली। याचिका में कहा गया है, यह भी तथ्य है कि मामले के वर्तमान तथ्यों में न केवल अंतर-राज्यीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट भी शामिल हैं और यह न्याय के हित में है, यदि वर्तमान प्राथमिकी से संबंधित जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी जाती है।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को तलब किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए 21 जुलाई को तलब किया है। इससे पहले वह जांच में शामिल नहीं हो सकी थी, क्योंकि वह अस्वस्थ थीं। ईडी के सूत्रों ने कहा कि उनसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो राहुल गांधी से उनकी पांच दिवसीय पूछताछ के दौरान पूछे गए थे।

23 जून को होने वाली उसकी पूछताछ को उनके अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया क्योंकि वह अस्वस्थ थीं। ईडी सूत्रों ने कहा, हमें यंग इंडिया और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के बीच सौदे में उनकी भूमिका के बारे में पूछना है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था

कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा इन सभी मामलों को देख रहे हैं। यंग इंडिया में वोरा की 12 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जबकि राहुल और सोनिया के पास 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। ईडी के अनुसार, पूरे सौदे में गांधी परिवार प्रमुख लाभार्थी हैं। इससे पहले पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खडग़े से ईडी पूछताछ कर चुकी है। जब से वोरा का निधन हुआ है तब से संदेह की सुई गांधी परिवार की ओर इशारा कर रही है।

नोएडा में कांवड़ यात्रा पर प्रशासन की तैयारी पूरी, यात्रा मार्ग पर मीट-शराब की दुकान रहेंगी बंद

नोएडा (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाली वार्षिक कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी हैं। यात्रा के मार्गो में साफ-सफाई और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। नोएडा में ईद और कांवड़ यात्रा पर जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. ने अन्य अधिकारीयों के साथ बैठक कर तमाम तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नोएडा में जल्द कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक सुचारु रूप से चले और कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत न आए, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है।

इसी बीच नोएडा में कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली मांस और शराब की सभी दुकानों को बंद करने के भी निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, अधिकारीयों ने मीट और शराब की दुकानों की सूची बना ली है और जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी, उस रास्ते पर दुकानें बंद रहेंगी।

इसके साथ ही जिन जगहों पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, उधर लाइट के इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की शरारत के प्रयास पर नजर रखने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों में जांच करने का भी निर्णय लिया गया।

कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की एक वार्षिक तीर्थयात्रा है, भक्त उत्तराखंड में हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से गंगा नदी का जल लेते हैं और इसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों मील तक पैदल ले जाते हैं।

कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात होगी इम्पेक्ट प्रोटेक्शन व्हीकल

गाजियाबाद (आरएनएस)। दिल्ली-मेरठ हाईवे पर कांवडिय़ों की सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) की ओर से कई कदम उठाए जाएंगे। कांवड़ मार्ग पर चल रहे रैपिड रेल के निर्माण कार्य के बारे में श्रद्धालुओं को पहले से सचेत करने के लिए इंपेक्ट प्रोटेक्शन व्हीकल (बड़ी लाइट वाले वाहन) तैनात किए जाएंगे। व्हीकल की मदद से हरिद्वार से आने और जाने वाले लोगों को साइट पर चल रहे निर्माण कार्य का दूर से ही पता चल जाएगा। व्हीकल में लगी बड़ी लाइटों की मदद से यात्री चल रहे कार्य के बारे में पहले से सचेत हो जाएंगे। हाईवे पर मेरठ तिराहे से दुहाई, मरादनगर होते हुए मोदीनगर तक विभिन्न स्थानों पर व्हीकल को लगाया जाएगा। रैपिड रेल कॉरिडोर के कार्य के चलते जगह-जगह बैरीकेडिंग की गई है। मार्ग को चौड़ा करने के लिए बैरीकेडिंग को थोड़ा पीछे खिसकाने का काम लगातार जारी है। एनसीआरटीसी की ओर से ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से कार्य किया जा रहा है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।